

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर  
अहम  
हुकम  
में

पाएते हैं जिस का क्रम प्रतिवादी सं. 1 ता 10 ने  
इच्छावालिमा अवाब श्री पेशा किया है। अतः  
पक्षकारान की सहमति अनुहाल प्रकरो  
में डिडी सुरमाई जावे। वृत्तलाप उभय  
पक्ष के निवेदन पर अूमिधारी तहसीलदार  
खटेल ने कोई आपत्ति जाहिर नही की।





पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध  
राजस्व रेकार्ड, इच्छावालिमा अवाब आदि  
का अवलोकन किया गया। चूंकि विवादित  
पक्षकारान आपसी सहमति से विवादित  
कृषि अूमि की खातेदारी दर्ज करवाना  
पाएते हैं एवं राज्य सरकार व लोक  
अदालत की भावना कि " लोक अदालत  
का सार न डिमी की जीत न डिमी  
की दार" के मध्य नजर वादी का वाद  
स्वीकार किया जाकर घोषणा की  
जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम खटेल तहसील खटेल।  
अवस्थित कृषि अूमि क्र. 2875 रकबा  
0.96 है से प्रतिवादी सं. 1 ता 10 एवं  
मृतक भगवानाराम पुत्र रामदेव का नाम  
हजक किया जाकर वादी गोविन्दराम  
पुत्र रामदेव को उभय ख. नं. का खाते-  
दार कारनकार घोषित किया जाता है।  
उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल  
दरामद हो तथा तदनुसार प्रकरो में

लघुहस्ताक्षर अधिकारी  
खटेल (सीकर)

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>पचा छिती सुलीव हो। पजागली  उसल सुमार होउद नमूर ले कुम  रो तथा वाप तउमील वाखिल वफरद  हो। निर्वाय मजमे आम पुताया गपा।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  खण्डेला (सीकर)</p>	

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, (सीकर)**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... मुकाम ..... **खण्डेला** .....

पीठासीन अधिकारी:- **श्री भागीरथ शाख, RAS**

इनवान

**गोविन्दराम** \* बनाम **० रामचन्द्र ० श्रीराम** \*

वा बाबत ..... **कोषा ११११ व रवाई निपेधाना**

क्रमा नम्बर :- **६७/२०१८**

र्णय दिनांक :- **२५-०५-२०१८**

इ मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु **श्री भागीरथ शाख, RAS** व हाजिरी

..... **मिनजानिब मुददई रुबरु श्री- भजनाराम** .....

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

**१. श्री राम खण्डेला व श्रील खण्डेला अर्जित इमि प्रॉपर्टी को नं. २८७५ २७७। ०.७६ हे. से प्रतिवारी सं. १। ल। १० एवं मनुष्य भजनाराम अथ रामदेव का नाम हुआ किया जा चुका है। गोविन्दराम अथ रामदेव को उक्त प्र. नं. का खालेदार का २८७५ को दिन किया जाना है। उक्तानुसार २।०।११ रवाई से अमल कराया है।**

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

इ आज दिनांक **२५.०५.२०१८** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



**श्री भागीरथ शाख**  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
..... रुपये पर प्लीडर की		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
फीस		आदेशिका की तामील	
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		कमिश्नर की फीस	
कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

✕ पुत्र रामदेव जाति अहीर निवासी कुटेपुर।  
ओमिपान नदमील जवेल। जिला बीकानेर।  
- (वाणी)



बनाम

✕ ③ श्रवण ④ अर्जुन ⑤ पूर्णमल

⑥ नकाश ⑦ मदन ⑧ सुभेरा

समान जाति अहीर निवासी आवा नदमील  
नवलगढ़ जिला कुंभनूर राज.

⑨ कुमला पुत्री सुखदेव मान गुलाबीडेकी  
कोहिली रामदेव पुत्री मदाकीर निवासी  
हुंटाकीवाणी नदमील बीमठायान जिला  
सीकर (राज.)

⑩ सुमित्रा पुत्री सुखदेव मान गुलाबीडेकी  
कोहिली रामदेव पुत्री मूलनन्द जाति अहीर  
निवासी कुटेपुर। नदमील जवेल। जिला बीकानेर

⑪ भूमिधारी नदमील गार जवेल।

( प्रतिवादीगण )

25/5/18  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेरा (सीकर)